

प्रतिवादीगण



समाप्त अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम डिक्री

दिनांक :- 20/04/2026

वादी की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मारुफ पंवार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

क- वादी अजय कुमार को प्राप्त भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एच.डी.पी के खाता स. 194/153 के प.न. 15/254 के गु.न. 06 के किला न. 4/1/2/.0165, 5/7/.0500, 5/8/.0110, 5/9/.007, 6/5/.1660, 6/7/.032, 6/9/.0210, 7/2/.2195, 8/2/2190, 9/2/.219, 10/2/.219 खाता स. 193/153 के किला न. 6/4/.024, 7/1/.0335, 8/1/.0340, 9/1/.0335, 10/1/.0340, 11/1/.253, 12/1/.094 उत्तरी तरफ दोगो खातो की कुल 1.6865 हैक. नहरी मय गैर गु. खाला रास्ता कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख-प्रतिवादी स. 1 कविन्द्र को प्राप्त भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एच.डी.पी के खाता स. 193/153 के प.न. 15/254 के गु.न. 06 के किला न. 6/6/.0060, 6/8/.0040, 12/2/.159, 13, 14, 15/1/.1900, 15/2/.038, 15/3/.0250 की कुल 0.928 हैक. नहरी मय गैर गु. रास्ता खाला कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग-प्रतिवादी स. 2 अमित कुमार को प्राप्त भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एच.डी.पी के खाता स. 153/118 के प.न. 15/253 के गु.न. 05 के किला न. 23/1/.127, 24, 25/2/.107, 25/3/.019, प.न. 15/254 गु.न. 6 किला न. 1/1/.1855, 2/2/.1855, 3/1/.1855, 4/2/.1855, 5/4/.1400, 5/5/.0270, 5/6/.0180 ह 1.4330 हैक, व खाता स. 194/153 प.न. 15/254 के किला न. 1/2/.0675, 2/1/.0675, 3/2/.0675,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4/1/1/.051 की 1.6865 हैक: नहरी मय गैर मु. रास्ता खाला कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा